भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 662
दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए
सभी बस्तियों के लिए सुरक्षित पेयजल

662. श्रीमती झरना दास बैद्यः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है;
(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पूरी तरह से शामिल, आंशिक रूप से शामिल किए गए तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और देश की सभी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 13.12.2018 की स्थिति तक 74.75% कुल ग्रामीण आबादी पूर्ण रूप से कवर की हुई हैं (अर्थात् उनमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से अधिक सुरक्षित पेयजल प्राप्त हो रहा है), 20.79% ग्रामीण आबादी आंशिक रूप से कवर की हुई हैं (अर्थात् उनमें 40 एलपीसीडी से कम जल प्राप्त हो रहा है) और 4.46% ग्रामीण आबादी गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में रह रही है जहाँ पेयजल के कुछ स्रोत रसायन संदूषण से प्रभावित हैं। दिनांक 13.12.2018 की स्थिति के अनुसार पूर्ण रूप से कवर की गई, आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा उनकी आबादी **अनुलग्नक** पर दी गई है।
(ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, तथापि यह मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज में सुधार लाने के लिए बजटीय आबंटन के अनुसार राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 13.12.2018 तक राज्यों को 4168.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 662 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण रूप से कवर की गई		आंशिक रूप से कवर की गई		गुणवत्ता प्रभावित	
		बसावटों की संख्या	कुल आबादी	बसावटों की संख्या	कुल आबादी	बसावटों की संख्या	कुल आबादी
1	अंडमान एवं निकोबार	324	2.35	76	0.3	0	0
2	आंध्र प्रदेश	34,604	241.76	13,392	121.67	367	2.91
3	अरुणाचल प्रदेश	3,210	6.08	4,287	6.28	28	0.05
4	असम	54,928	172.4	23,266	86.71	9,853	37.1
5	बिहार	70,615	577.2	35,685	373.14	3,918	43.99
6	छत्तीसगढ़	72,965	192.44	1,140	3.8	514	1.58
7	गोवा	345	7.3	2	0.01	0	0
8	गुजरात	35,996	369.89	0	0	0	0
9	हरियाणा	7,298	177.21	116	2.83	103	2.56
10	हिमाचल प्रदेश	43,086	54.71	10,183	10.98	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	9,290	63.27	6,476	37.72	12	0.27
12	झारखंड	1,19,022	267.85	270	1.58	540	1.95
13	कर्नाटक	23,120	187.98	35,862	202.04	792	5.13
14	केरल	6,052	125.67	15,141	331.6	327	7.44
15	मध्य प्रदेश	1,27,298	525.42	0	0	150	0.6
16	महाराष्ट्र	89,427	533.72	9,912	95.14	194	4.11
17	मणिपुर	2,133	17.43	829	6.01	0	0
18	मेघालय	3,982	10.41	5,991	14.39	7	0.07
19	मिजोरम	487	3.63	231	1.56	0	0
20	नागालैंड	735	9.37	711	7.36	4	0.02
21	ओडिशा	1,54,385	349.62	133	0.53	2,495	7.72
22	पुडुचेरी	153	3.06	113	1.32	0	0
23	पंजाब	10,529	128.54	1,361	10.15	3,148	37.98
24	राजस्थान	59,070	255.25	43,975	186.12	18,481	65.82
25	सिक्किम	830	1.64	1,246	2.93	0	0
26	तमिलनाडु	96,033	379.69	3,980	15.86	1	0.01
27	तेलंगाना	14,543	123.91	9,456	94.92	360	5.8
28	त्रिपुरा	4,935	26.84	1,361	6.66	2,427	11.41
29	उत्तर प्रदेश	2,56,468	1,647.59	2,176	12.73	1,374	13.2
30	उत्तराखंड	22,781	42.39	16,515	28.78	15	0.76
31	पश्चिम बंगाल	56,574	344.88	32,570	241.57	16,525	158.04
	कुल	**13,81,218**	**6,849.50**	**2,76,456**	**1,904.69**	**61,635**	**408.52**
प्रतिशत		**80.34**	**74.75**	**16.08**	**20.79**	**3.58**	**4.46**